

नम्बर
अहकाम
हुकम को
में जारी हुए
31/01/22

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

पत्रावली काक पेशा हुई। इनके पत्रों के वकील
उपस्थित। वकील विवादी का जवाब देकर। दोनों
पक्षों के विद्वान मिलकर बातों के अन्त में
सही पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का
गट्राउंड के अन्वयेन अध्ययन किया गया। बाकी व
विवादीगत विवादित मामलों के रेकॉर्ड रिकॉर्डर से
लीकर्स का विचारण, हल वाड में अंदाज के तहत
होना है। रेकॉर्ड रिकॉर्डर को विधिपत्रा के
बाब-5 किया जाना न्यायालय उचित नहीं समझा।
लिखत जाही का अर्द्ध-पत्र 21/2/2021 जारी
कर रिकॉर्डर किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुनार
होकर हल वाड के साथ नल्की हो।

(यमी)
सहायक कलक्टर
SDO (गुडामालानी)



॥श्री॥

श्रीमान् सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) महोदय,
गुडामालानी, जिला बाडमेर।



संवामें,
वाप
L
11/9/20

प्राथी :- रांका वल्द श्री मदरूपा, उम्र 80 वर्ष,
जाति मेघवाल (भाम्बी), निवासी भोलागर नगर,
हाल निवासी खुडाला, ग्रामपंचायत खुडाला, तहसील गुडामालानी।
जिला बाडमेर।

विप्रार्थीगण :-

- :- बनाम :-
1. एजनों पुत्री नवा पत्नी श्री घमण्डाराम, उम्र 65 वर्ष,
कौम मेघवाल(भाम्बी), साकिन भोलागर नगर हाल निवासी बारासण।
 2. भावी पुत्री नवा पत्नी श्री बस्ताराम, उम्र 63 वर्ष, कौम मेघवाल(भाम्बी),
साकिन भोलागर नगर, ग्रामपंचायत लूणवाजागीर,
तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर।
 3. रमेश वल्द श्री लखा, उम्र 25 वर्ष,
 4. मुकेश वल्द श्री लखा, उम्र 22 वर्ष, कौम मेघवाल(भाम्बी),
साकिन उकजी की ढाणी, ग्रामपंचायत लूणवाजागीर,
तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर।
 5. कदना पत्नी स्व० लखा, उम्र 55 वर्ष, कौम मेघवाल(भाम्बी),
साकिन उकजी की ढाणी, ग्रामपंचायत लूणवाजागीर,
तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर।
 6. कालू वल्द श्री भीमा, उम्र 65 वर्ष, कौम मेघवाल(भाम्बी),
साकिन उकजी की ढाणी, ग्रामपंचायत लूणवाजागीर,
तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर।
 7. मोडू पुत्र भीमा, उम्र 60 वर्ष,
 8. जैसा पुत्र भीमा, उम्र 58 वर्ष, कौम मेघवाल(भाम्बी),
साकिन उकजी की ढाणी, ग्रामपंचायत लूणवाजागीर
तहसील गुडामालानी, जिला बाडमेर।
 9. शाखा प्रबन्धक एस०बी०आई० ए०डी०बी० बैंक गुडामालानी।
 10. शाखा प्रबन्धक एस०बी०बी०जे० बैंक गुडामालानी।



11. जरिये राज्य सरकार तहसीलदार एवं उपपंजीयक गुडामालानी।

आवेदन अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

महोदयजी,

प्रार्थी का निवेदन निम्न प्रकार है :-

कि प्रार्थी ने एक वाद न्यायालय हाजा में पेश किया है जिसमें मुझ प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है।

1. कि वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि मौका कब्जा अनुसार चली आ रही है जो कि पटवार मण्डल लूणवाजागीर के मौजा भोलागरनगर खेत खसरा संख्या 245, 329 रकबा क्रमशः 0.09, 31.10 बीघा कुल रकबा 31.19 बीघा, किस्म बा0सो0, मौजा उकजी की ढाणी खेत खसरा संख्या 7, 18, 77 रकबा क्रमशः 37.19, 13.00, 23.05 बीघा कुल रकबा 74.04 बीघा, किस्म बा0सो0, बा.दो. एवं मौजा लूणवा जागीर खेत खसरा संख्या 448, 564 रकबा क्रमशः 12.04, 39.18 बीघा, कुल रकबा 52.02 बीघा किस्म बा0दोयम, बा0सोयम की संयुक्त खातेदारी दर्ज है। जिसमें लट्टा ट्रेस में तरमीम नहीं है खेत संयुक्त है। कि संयुक्त खातेदारी होने से विभाजन का वैध अधिकारी है। जिसकी वर्तमान खातेदारी/खतौनी/खेवट जमाबन्दी नकल व नक्शा संलग्न पेश है। कि जिसमें प्रार्थीगण का उपरोक्तानुसार रकबा है प्रार्थी ने अपने रकबे को शेष विप्रार्थीगण से विभाजित कर पृथक करवाने, व मौके की लट्टा ट्रेस में तरमीम हेतु एक वाद माननीय न्यायालय में पेश किया है जो प्रथम दृष्टया साबित है।

2. कि प्रार्थी व विप्रार्थीगण अपने-अपने हिस्सानुसार काबिज है परन्तु विप्रार्थीगण उक्त भूमि में बेचान करने पर आमदा है कि उक्त भूमि में तरमीम दर्ज नहीं होने तथा मूल खसरा संलग्न रहने से विप्रार्थीगण जो कि